परिशिष्ट - "अ"

[26/7/2022]

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रश्न सं. [क्र. 691]

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462 004

क्रमांक सी 3–06/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य् प्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ भोपाल के संविलियन कर्मचारियों का वेतन, निर्धारण बाबत।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–14/2013/1/3,दिनांक 12.08.2013 द्वारा तिलहन संघ के सेवायुक्तों की राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना लागू की गई है। संविलियन योजना की कंडिका 2.6 में वेतन निर्धारण के भी दिशा निर्देश है। उक्त योजना के अंतर्गत तिलहन संघ के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में संविलियन किया गया है । कतिपय विभागों में वेतन निर्धारण की कठिनाईयां आ रही है। इस संबंध में वेतन निर्धारण हेतु पृक्रिया तैयार की गई है। जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त पृक्रिया के आधार पर संविलियन किए गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार.

(सी वी पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी 3–06/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,भोपाल.
2. समस्त जिला कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग कुक्ष-3

रहा है तथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार राशि उसे प्राप्त हो रही थी :–

वेतनमान (1400–2340)

मूल वेतन	रू. 1840
प्रथम अंतरिम राहत	रू. 100
द्वितीय अंतरिम राहत	रू. 234
तृतीय अंतरिम राहत	रू. 234
योग	**रू. 2308**
दिनांक 01.07.2015 पर प्राप्त मंहगाई भत्ता (मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो, का 825 प्रतिशत)	रू. 15180
महायोग	**रू. 17488**

उपरोक्त कर्मचारी का संविलियन वेतनमान 5200–20200+2400 पर दिनांक 01.07.2015 पर किया गया। दिनांक 01.07.2015 पर वेतन गणना निम्नानुसार होगी :–

क्र.		वेतन बैंड की स्टेज	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	योग
01.	न्यूनतम	5200	2400	8588	16188
02.	प्रथम वेतन वृद्धि	5430	2400	8848	16678
03.	द्वितीय वेतन वृद्धि	5670	2400	9119	17189
04.	तृतीय वेतन वृद्धि	5920	2400	9402	17722

उपरोक्तानुसार तृतीय वेतन वृद्धि लगने से कुल प्राप्ति योग्य राशि कर्मचारी को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त हो रही राशि से अधिक है। अतः द्वितीय वेतन वृद्धि हेतु वेतन बैंड की स्टेज रू. 5670 पर वेतन निर्धारण दिनांक 01.07.2015 की स्थिति में किया जायेगा तथा 17722–17488 रू. 234 व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होगा जिसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में किया जायेगा।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

तिलहन संघ के संविलियन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या.भोपाल के संविलियत कर्मचारियों को संविलियन दिनांक को वेतन निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया प्रस्तावित है :–

क. जिस कर्मचारी का जिस पद पर संविलियन हो रहा है, उस पद हेतु सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी हेतु निर्धारित छठवें वेतनमान का बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन संविलियत कर्मचारी हेतु संविलियन दिनांक पर निर्धारित होगा।

ख. संविलियन हेतु कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात विभाग में उपस्थिति देने की दिनांक पर तिलहन संघ से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

1. कर्मचारी को तिलहन संघ से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र मूल वेतन+अंतरिम राहत+मंहगाई भत्ता एवं व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो (गृह भाड़ा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता तथा कार्यालय आने जाने संबंधी भत्ता आदि को छोड़कर) का कुल योग = (A) ज्ञात किया जाय।
2. संविलियन दिनांक पर संविलियत पद के बैंड वेतन का न्यूनतम+ग्रेड पे+मंहगाई भत्ता का कुल योग = (B) ज्ञात किया जाय।
3. यदि (A) एवं (B) की राशि बराबर है अथवा (B) की राशि (A) से अधिक है, तो संविलियत पद के बैंड वेतन के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण किया जाय।
4. यदि (A) की राशि (B) से अधिक है, तो संविलियत पद के बैंड वेतन के न्यूनतम पर वेतन वृद्धियों की गणना तब तक की जाय जब तक की ऐसी वेतन वृद्धि के पश्चात वेतन बैंड की राशि एवं ग्रेड पे तथा मंहगाई भत्ते की राशि (A) के बराबरी से ठीक नीचे न रह जाय, अर्थात आगामी वेतन वृद्धि जोड़ने के पश्चात भत्ते की राशि (A) से अधिक न हो जाय, ऐसी वेतन बैंक की राशि पर संबंधित कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जाय तथा (A) एवं (B) के शेष रहे अंतर की राशि, यदि कोई हो, को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दर्शाया जाय तथा ऐसे व्यक्तिगत वेतन को आगामी वेतन वृद्धि के समय समायोजित किया जाय।

उदाहरण 1 :– "क" कर्मचारी तिलहन संघ से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमांण पत्र (जिसका संविलियन विभाग में दिनांक 01.07.2015 को किया गया) के आधार पर वेतनमान 1400–2340 में मूल वेतन रू. 1840 आहरित कर

अवर सचिव / अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग